

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 25.02.2019

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर/जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से आपराधिक प्रकरणों में पैरवी हेतु नियुक्त निम्नांकित सहायक राजकीय अधिवक्तागण को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	सहायक राजकीय अधिवक्ता का नाम	पदस्थापित स्थान
01	श्री पंकज सिसोदिया	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर
02	श्री औंकार सिंह राजपुरोहित	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा से,

—हं—
(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति० महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित सहायक राजकीय अधिवक्ता।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, जोधपुर/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

/Manohar
25/2
(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव,विधि